उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–4
संख्या– 308 /आठ–4–2024
लखनऊः दिनांक 20 मार्च, 2024

कार्यालय–आदेश

उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ, प्रबन्ध और उपयोग) अध्यादेश, 2024 को चुनौती दिये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट सी संख्या–9208/2024 (नोटिस संख्या–15022/2024) डा0 अशोक तहिलियानी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा सिविल मिस रिट पिटीशन (नोटिस) संख्या–15780/2024 हेमन्त गुप्ता, पुत्र स्व0 चन्द्र मोहन गुप्ता, निवासी–123/27–ए, एम.जी. मार्ग, सिविल लाइन्स, प्रयागराज बनाम् उ0प्र0 सरकार व अन्य योजित की गयी है। उक्त के अतिरिक्त अध्यादेश को चुनौती दिये जाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में अन्य रिट याचिकायें भी योजित की जा सकती हैं।

2. अतः उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ, प्रबन्ध और उपयोग) अध्यादेश, 2024 को चुनौती दिये जाने से सम्बन्धित मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में योजित/योजित होने वाले वादों में प्रभावी पैरवी हेतु शासन स्तर पर श्री मनोज कुमार, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को नोडल अधिकारी तथा निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख लिखित दायित्वों के निर्वहन हेतु नामित किया जाता है :–

क्र.सं.	पदनाम	नामित नोडल/ दायित्व	सम्बन्धित न्यायालय
1.	अपर जिलाधिकारी (नजूल), प्रयागराज	वाद सम्बन्धी समस्त कार्यवाही ससमय पूर्ण कराना।	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद
2.	सचिव, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, प्रयागराज	नोडल अधिकारी	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद
3.	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ	नोडल अधिकारी एवं वाद सम्बन्धी समस्त कार्यवाही ससमय पूर्ण कराना।	मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ।
4.	सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद	नोडल अधिकारी एवं वाद सम्बन्धी समस्त कार्यवाही ससमय पूर्ण कराना।	मा0 उच्चतम न्यायालय।

यह निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त अधिकारी सम्बन्धित एडवोकेट ऑन रिकार्ड/मुख्य स्थायी अधिवक्ता/आबद्ध अधिवक्ता से सम्पर्क स्थापित कर ससमय आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करायेंगे तथा शासन को प्रत्येक सप्ताह अद्यतन स्थिति से अवगत करायेंगे।

नितिन रमेश गोकर्ण
अपर मुख्य सचिव।

क्रमश :.......... 2 पर

E:\AR RO Name Folder\SO-4\Notting & GO\UO

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. मा0 महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस सम्बन्ध में प्रभावी प्रतिवाद/पैरवी सुनिश्चित करायें।
3. उपाध्यक्ष, गाजियाबाद/प्रयागराज/लखनऊ विकास प्राधिकरण।
4. श्री कमलेन्द्र मिश्र, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
5. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ।
6. सम्बन्धित अधिकारीगण।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव/विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम निहोर)
अनु सचिव।